

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी, (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :- रामसुख गुर्जर RAS

राजस्व वाद संख्या 176/18

वादी

बनाम

कैम्प ग्राम पंचायत 2वाशिप

प्रतिवादीगण,

तहसीलदार

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

वाद पत्र धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :- 13.6.18

वादी के वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी श्री हुक्माराज पुत्र गोबाराज जाति कुहारा निवासी 21मठगा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर का रहने वाला है, वादी का नाम ग्राम 21मठगा के खाता संख्या/खसरा नम्बर 116 में श्री हुक्माराज पुत्र गोबाराज जाति कुहारा अंकित हो गया है, जो सही नहीं है। राशनकार्ड/ पहचान पत्र/आधार कार्ड में सही नाम हुक्माराज पुत्र गोबाराज है, इसलिए उक्त खाता में गलत नाम हटाकर सही नाम का रिकार्ड में दुरुस्ती करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी की गई। कि वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच कर रिपोर्ट कैम्प 2वाशिप में पेश करे। पत्रावली कैम्प 2वाशिप में पेश हुई। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर शामिल मिसल की गई। वादी ने अपने नाम का रिकार्ड में दुरुस्ती हेतु कैम्प 2वाशिप में दस्तावेज पेश किये, जो शामिल मिसल किये। कैम्प में उपस्थित मौतबरान से पूछताछ व वादी के वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन एवं मनन करने पर वादी का वाद काबिल स्वीकार होने से कैम्प में ही स्वीकार कर आदेश निम्न प्रकार पारित किया गया।

आदेश

ग्राम 21मठगा तहसील कुचामनसिटी के खाता संख्या/खसरा नम्बर 116 में वादी श्री हुक्माराज पुत्र गोबाराज निवासी कुहारा की जगह वादी का सही नाम हुक्माराज पुत्र गोबाराज जाति कुहारा निवासी 21मठगा दुरुस्त किया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो, मिसल नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.6.18 को सरे आम कैम्प 2वाशिप में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)